

एक्स-ट्रेड शिक्षार्थियों की भर्ती के लिए केओपीटी नीति

क) एक्स-ट्रेड शिक्षार्थियों में से साथ-साथ भर्ती के लिए क्षतिपूर्ति आधार पर सेवा कर्तव्य निभाते हुए मृतक उम्मीदवारों की नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों के बीच कोई लिंक या अनुपात नहीं होना चाहिए।

ख) उत्तीर्ण हो चुके ट्रेड शिक्षार्थी जो केओपीटी के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं, उन पर विचार किया जाएगा और उनकी कुशलताओं और योग्यताओं से मिलते-जुलते पदों की श्रेणियों में केओपीटी में सीधे भर्ती कर दी जाएगी।

ग) अन्य सभी बातों को समान पाने पर एक प्रशिक्षित शिक्षार्थी को सीधे भर्ती के लिए वरीयता दी जानी चाहिए।

घ) इसके लिए एक शिक्षार्थी को किसी भी रोजगार कार्यालय के द्वारा अपना नाम प्रायोजित कराने की आवश्यकता नहीं है।

ङ) आयु, प्रशिक्षण अवधि में छूट अवधि के संदर्भ में शिक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

च) एक्स-ट्रेड शिक्षार्थियों के बीच चयन मैरिट के आधार पर होगा।